अध्यय 3
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण

9. **उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण की स्थापना –** इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित अभिकरणों की स्थापना की जाएगी, अर्थात –

(क) राज्य सरकार "जिला पीठ" के रूप में ज्ञात एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ की स्थापना अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक जिले में करेगी:

[1][परन्तु यह कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले के लिए एक से अधिक जिला पीठों की स्थापना कर सकेगी;]

(ख) राज्य सरकार "राज्य आयोग" के रूप में ज्ञात एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना अधिसूचना द्वारा राज्य में करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना अधिसूचना द्वारा करेगी।

10. **जिला पीठ की संरचना –** [2](1) प्रत्येक जिला पीठ निम्नालिखित से मिल कर बनेगी –

(क) ऐसा एक व्यक्ति जो लिा न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के लिए अर्हित है वह इसका अध्यक्ष होगा;

(ख) दो अन्य सदस्य जो योग्य, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होगें और जिनको अर्थशास्त्र विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होगा या इससे संबंधित समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करने की योग्यता होगी और उनमें से एक महिला होगी;

(1–क) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन परिषद् की अनुशंसा पर की जायेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात –

(एक) राज्य के आयोग का अध्यक्ष – अध्यक्ष

(दो) राज्य के विधि विभाग का सचिव – सचिव

(तीन) राज्य के उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग पर नियंत्रण रखने वाला भारसाधक सचिव – सदस्य ।

(2) जिला पीठ का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिये या पैंसठ वर्ष की आयु तक इसमे से जो भी पूर्ववत हो, पद धारण करेगा और वह पुर्ननियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर, उसका पद रिक्त हो जाएगा और वहऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जिसके पास ऐसे किसी सदस्य के प्रवर्ग के संबंध में जिसने त्याग पत्र दिया है, उपधारा (1) में वर्णित अर्हताओं में से कोई अर्हता है।

(3) जिला पीठ के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निंबधन और शर्ते ऐसी होगीं जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

11. **जिला पीठ की अधिकारिता** – (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला पीठ को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां माल या सेवा का मूल्य और सेवा और दावाकृत प्रतिकर, यदि होई है पांच लाख रूपये से अधिक नहीं है।

(2) परिवाद ऐसे जिला पीठ में संस्थापित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर –

(क) विरोधी पक्षकार, या जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार है वहां विरोधी पक्षकारों मे से हर एक परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है; अथवा

(ख) जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार है वहां विरोधी पक्षकारों में से कोई भी विरोधी पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या जो जिला पीठ की इजाजत दे दी गई है या जो विरोधी पक्षकार पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करते या कारबार नही करते या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते, वे ऐसे संस्थित किये जाने के लिए उपमत हो गए है; अथवा

(ग) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है।

[3][**12 रीति, जिसमें परिवाद किया जाएगा –** विक्रीत या पदित्त किसी माल या बिक्रीत या परिदत्त किसी माल के लिए सहमत या उपलब्ध कराई गई किसी सेवा या उपलब्ध कराई गई किसी सेवा के लिए सहमति के संबंध में कोई परिवाद निम्नलिखित द्वारा जिला पीठ को किया जा सकेगा।

(क) वह उपभोक्ता जिसको ऐसा माल विक्रीत या परिदत्त किया जाता है या विक्रीत या परिदत्त किए जाने हेतु सहमत या ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या इस हेतु समहत है,

(ख) कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम चाहे वह उपभोक्ता जिसको उस माल का विक्रय या परिदान किया गया है या विक्रय के लिए सहमत है या सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं या इस हेतु सहमत है, ऐसे संगम का सदस्य है या नही ; या

(ग) एक या अधिक उपभोक्ता जहां अनेक उपभोक्ता हो तब उनका एक ही हित हो सभी उपभोक्ताओं का हित या लाभ इस निमित्त जिला पीठ की अनुमति सहित, या

(घ) केन्द्रीय या राज्य सरकार।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए ''मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम'' से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है।]

---

१ उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा (दिनांक 16.6.93 से लागू) अन्तःस्थापित।

२ उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 50) द्वारा (दिनांक 18.6.93 से) अन्तःस्थापित।

३ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1993 (1993 का 50) द्वारा (दिनांक 27.8.93 से) अन्तःस्थापित।